प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0 प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ::दिनांक 30 जून,2017

विषय:-**प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों के गठन के सम्बंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-635/वि0का0/प्र0मं0आ0यो0-ग्रा0/2017 दिनांक 12.06.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सफल संचालन हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की मार्गनिर्देशिका के प्रस्तर-3.6.1 एवं 3.6.2 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों के गठन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सफल संचालन हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की मार्गनिर्देशिका के प्रस्तर-3.6.1 एवं 3.6.2 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों के गठन का निम्नानुसार किये जाने का निर्णय शासन स्तर पर लिया गया है:-

राज्य स्तरीय निगरानी समिति

1- अध्यक्ष	-	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- उपाध्यक्ष	-	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 शासन।
3- सदस्य	-	प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0 प्र0 शासन, ग्रामीण आवास आयुक्त, उ0 प्र0 ग्रामीण आवास परिषद, निदेशक, पंचायतीराज, उ0 प्र0, क्षेत्रीय प्रबंधक, हडको, अपर आयुक्त (पी0एम0ए0वाई0-जी0), ग्राम्य विकास उ0 प्र0 एवं अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0 प्र0
4- सचिव	-	आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

जिला स्तरीय निगरानी समिति

1- अध्यक्ष	-	जिलाधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उपाध्यक्ष	-	मुख्य विकास अधिकारी।
3- सदस्य	-	जिला विकास अधिकारी, वित्त नियंत्रक (डी.आर.डी.ए.), जिला सांख्यिकी अधिकारी, जिलाधिकारी द्वारा नामित एक ब्लाक प्रमुख, एल0डी0एम0, जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारी।
4- सचिव	-	परियोजना निदेशक।

3- कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

राहुल भटनागर

मुख्य सचिव।

संख्या- 17/2017/562(1)/38-4-2017, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0 प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन।
5- ग्रामीण आवास आयुक्त, उ0 प्र0 ग्रामीण आवास परिषद, गोमती नगर, लखनऊ।
6- निदेशक, पंचायतीराज, उ0 प्र0।
7- क्षेत्रीय प्रबंधक, हडको, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
8- अपर आयुक्त (पी0एम0ए0वाई0-जी0), ग्राम्य विकास उ0 प्र0।
9- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0 प्र0।
10- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12-समस्त परियोजना निदेशक/वित्त नियंत्रक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
।3-समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

श्रीश चन्द्र वर्मा

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।